कुमार यादव,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स मां राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, निर्देशक–श्री बीरेंद्र कुमार यादव, ग्राम+पोस्ट–फुलवरिया, जिला–सारण द्वारा सोन–03 बालू घाट, मौजा–कोईलवर और सुरौंधा, प्रखंड–कोईलवर, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 20.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय कोईलवर, कोईलवर, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2324/2023, dt. 01.03.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 20.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय कोईलवर, कोईलवर, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्‌देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव / विचार / मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्‌टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (340 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री रमेश कुमार, पिता–श्री यदुनंदन राय,ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि सोन नदी के तट पर इनका जमीन 22 एकड़ है। उस पर पेड़–पौधा लगा दिया जाय। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 340 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि कम–से–कम 600 पेड़ लगायें जायें। इनके द्वारा पुनः सुझाव दिया गया कि पेड़ छायादार एवं फलदार (सागवान, नीम, पीपल, वरगद, नीम, जामुन, आम इत्यादि) का लगाया जाय। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अगर स्थानीय लोग पेड़–पौधा की मांग करते हैं, तो संवेदक उनको निःशुल्क पेड़–पौधा उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।
2.	श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, पिता–श्री सनन कुमार मिश्रा, ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि धूल–कण ज्यादा उड़ता है। पानी का नियमित छिड़काव करना चाहिए। अधिक–से–अधिक पेड़ लगाये जाय। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय। बालू खनन होना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा।

3.	**श्री रमेन्द्र कुमार, पिता–श्री गौतम राय, ग्राम– कोईलवर, जिला–भोजपुर।**	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना से लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। कम्प्यूटर चलाने का चालक, सुपरवाइजर श्रमिक के रूप में रोजगार प्रदान किया जायेगा। क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
4.	श्री सुनील कुमार, पिता--श्री जीतन राय, ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि प्रदूषण जो होगा। उसके बचाव के लिए क्या–क्या उपाये किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि गाड़ी को तिरपाल से ढक्कर ले जायेंगे। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। खनन के दौरान आने वाले वाहन को पहले विभाग से रजिस्टर्ड करवाना होगा। PUC प्राप्त वाहनों का ही उपयोग की अनुमति दी जायेगी। रोड के अगल–बगल पेड़ पौधे लगाये जायेंगे।
5.	श्री संजय कुमार, पिता–श्री रघुनाथ राय,ग्राम–कोईलवर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा ट्रैफिक जाम का निदान करने हेतु कहा गया। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यातायात नियम का पालन करना होगा। घाट से एक साथ गाड़ी नहीं छोड़ेगे। ट्रैफिक लोड का आंकलन कर कारवाई की जाएगी। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो गंगा पुल बंद हो गया था वो फिर से चालू होगा। इससे ट्रैफिक–लोड कम पड़ेगा।
6.	श्री सिकंदर राय, पिता–श्री दीनदयाल राय, ग्राम–छपरा, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से कैसे रोजगार मिलेंगे। पर्यावरणी सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रत्यक्ष रूप से जैसे जो

		कम्प्यूटर चलाना जानते है उनको चलान काटने का मिलेगा। जो पोकलेन चलाना जानते है उनको पोकलेन चलाने का काम मिलेगा और ऐसे बहुत सारे काम है जो खनन परियोजना से संबंधित है वह काम उनको मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से बालू खनन में बहुत सारे काम मिलेगा। जैसे मजदूरों के लिए नये दुकान खुलेंगे इत्यादि।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। मिशन कायाकल्प के तहत् प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को ~~अनुशंसा करने~~ का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

30-6-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

30/6/23

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अधिकरण,

मेसर्स मां राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., निदेशक-श्री बीरेंद्र कुमार यादव द्वारा सोन -03 बालू घाट, मौजा-कोईलवर और सुरौंधा, अंचल-कोईलवर, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय कोईलवर, दिनांक: 20.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कुमार पाण्डेय	निदेशक, डी० खा० [illegible]	[signature] 20/06/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	[illegible] पर्षद, पटना	[signature] 20-6-23
3.	आनन्द प्रकाश	[illegible]	[signature] 20/06/23
4.	सतीश कुमार सिंह	रियान एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड	[signature]
5.	मुन्ना कुमार शर्मा	Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature]
6.	Vikash Ku.	B.S.P.C.B, Patna	Vikash Kumar
7.	सुमन कुमार	सिमरपुर, दियारा	सुमन कुमार
8.	पशुपति राय	सकड्डी बलवन टोला डोरीगंज	पशुपति राय
9.	यादवेन्द्र नारायण	कोईलवर	Yadvendra
10.	मुन्ना कुमार राय	कोईलवर	[signature]
11.	[illegible] कुमार सिंह	कोइलवर	[signature]
12.	वीरेन्द्र कुमार यादव	[illegible]	वीरेन्द्र कुमार यादव
13.	सुरेन्द्र राय	छपरा [illegible]	सुरेन्द्र राय
14.	संजय कुमार	छपरा कृष्णापुरी	संजय कुमार
15.	मुन्ना राय	जरखा	मुन्ना राय
16.	सुनील कुमार	कोइलवर	[signature]
17.	धर्मेन्द्र कुमार	कोइलवर	[signature]
18.	[illegible]	कोइलवर	

19.	Pappu kumar	Rajpur Bindar	[illegible]
20.	बहादुर राय	दहीपौत्रा	B
21.	पप्पू गुप्ता	[illegible]	Pappu
22.	Aman kr.	Saran Chapra	Aman kr.
23.	विकाश कुमार	सिताबदियारा	विकाश कुमार
24.	पंकज सिंह	सिताबदियारा	पंकज सिंह
25.	[illegible]	सिताबदियारा	[illegible]
26.	अजय यादव	K.	अजय यादव
27.	अजीत सिंह	[illegible]	Ajit Singh
28.	Sanjay kr Rai	Shivatola dost nagar	Sanjay kr Rai
29.	Prashant kr mishra	Koilwar	Prashant kumar mishra
30.	श्याम कुमार राय	[illegible]	[illegible]
31.	सिकन्दर राम	छपरा [illegible]	सिकन्दर राम
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			